www.jagran.com राष्ट्रीय संस्करण
दैनिक जागरण
मंगलवार 12 नवंबर 2019

दैनिक जागरण

ज्यादा धन होने का मतलब ज्यादा सुखी होना नहीं है

राजनीतिक निर्लज्जता

भाजपा से अलग होने के बाद शिवसेना सत्ता के लोभ में जिस तरह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस से मिलकर सरकार बनाने की राह पर बढ़ चली है उससे अवसरवादी राजनीति का एक और शर्मनाक उदाहरण ही पेश होने जा रहा है। वैसे तो देश में कोई भी ऐसा दल नहीं जो अवसरवादी राजनीति से अछूता हो, लेकिन जो शिवसेना कर रही है वह राजनीतिक निर्लज्जता की पराकाष्ठा है। हिंदुत्व की राजनीति का दम भरने और कांग्रेस एवं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को सदैव कोसने वाली शिवसेना यही साबित कर रही है कि वह सत्ता के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। वह ऐसे समय अपनी रीति-नीति को धता बताकर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को गले लगाने जा रही है जब अयोध्या फैसला आने के बाद देश उन दलों का स्मरण कर रहा है जो राम मंदिर निर्माण की मांग का समर्थन और विरोध किया करते थे। यह हतप्रभ करता है कि शिवसेना अयोध्या मामले में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के रवैये को इतनी आसानी से भूलना पसंद कर रही है? शिवसेना अपने सत्ता लोभ में खुद को बाला साहब ठाकरे की विरासत से ही अलग नहीं कर रही है, उस कांग्रेस के समक्ष नतमस्तक भी हो रही है जिसके विरोध से ही उसका जन्म हुआ था। निःसंदेह शिवसेना को सत्ता तो मिल जाएगी, लेकिन क्या उसके नेता खुद से और साथ ही अपने प्रतिबद्ध समर्थकों से आंख मिला पाएंगे? क्या उसकी राजनीति में नीति के लिए कोई स्थान नहीं? क्या अब वह कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के साथ-साथ समान नागरिक संहिता और ऐसे ही अन्य मसलों पर वही सब कुछ कहा करेगी जो कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कहती आ रही हैं?

शिवसेना इस आधार पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से अलग हुई, क्योंकि भाजपा ने बारी-बारी से दोनों दलों के नेताओं को मुख्यमंत्री बनाने की उसकी मांग नहीं मानी, लेकिन उसे स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर ऐसी कोई सहमति बनी ही कब थी? सवाल यह भी है कि क्या ढाई-ढाई साल तक दोनों दलों के नेताओं की ओर से मुख्यमंत्री पद संभालना एक-दूसरे के प्रति भरोसे का परिचायक होता? एक-दूसरे के प्रति अविश्वास से भरा यह फार्मूला तो नाकामी की ही कहानी लिखता। यह समझ आता है कि शिवसेना इससे कुंठित है कि वह भाजपा के मुकाबले कमजोर हो गई है, लेकिन क्या इसका उपाय धुर विरोधी दलों की गोद में बैठना हो सकता है? समझना कठिन है कि शिवसेना अनुभवहीन आदित्य ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाने पर क्यों आमादा है? वैसे तो शिवसेना परिवारवाद की राजनीति का ही पोषण कर रही है, लेकिन अब तो वह लोक लाज त्यागकर घोर वंशवादी दल बन रही है।

चुनाव और पर्यावरण

झारखंड हाई कोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण को केंद्र में रखकर चुनाव में ईको फ्रेंडली सामग्री के इस्तेमाल का आदेश दिया है। अदालत ने चुनाव आयोग की गाइडलाइन को राज्य में पालन कराए जाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि चुनाव प्रचार में राजनीतिक पार्टियां ऐसी सामग्री का प्रयोग करें, जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। अदालत का यह आदेश दूरगामी प्रभाव देने वाला तथा मानव हित में है। यह आदेश इसलिए भी अहम है, क्योंकि चुनाव की घोषणा हो चुकी है और इसमें बड़े पैमाने पर चुनाव सामग्री का इस्तेमाल होना है। इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि इनमें से कई सामग्री इको फ्रेंडली नहीं होते। बैनर-पोस्टर से लेकर होर्डिंग, फ्लैक्स, प्लास्टिक की लड़ियां, बोतल, ग्लास आदि किसी न किसी तौर पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं। इसे जागरूकता की कमी कहें अथवा लापरवाही, चुनाव के बाद राजनीतिक पार्टियां इसे हटाने की जहमत नहीं उठाती। विभिन्न चुनावी सभाओं, बैठकों, छोटी-बड़ी रैलियों आदि में संबंधित स्थलों के अलावा पूरा शहर ऐसी सामग्री से पट जाता है। आज जब पूरा विश्व पर्यावरण संरक्षण को लेकर चिंतित है, जरूरत इस बात की है कि राजनीतिक दल अपने प्रचार-प्रसार में ऐसी सामग्री का कतई प्रयोग न करें, जो पर्यावरण के लिए किसी न किसी रूप में घातक हैं। आवश्यकता है कि भारत निर्वाचन आयोग इस दिशा में स्पष्ट गाइडलाइन जारी करे। साथ ही, इसकी निगरानी भी सक्षम प्राधिकारों से सुनिश्चित कराए। चुनाव आयोग के निर्देशों का अनुपालन राजनीतिक दल और उम्मीदवार कर रहे हैं अथवा नहीं, आयोग भी अपने तंत्र के माध्यम से इसका औचक निरीक्षण कर सुनिश्चित करे। राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और प्लास्टिक के इस्तेमाल को नियंत्रित करने वाली संस्थाओं को भी इसकी जवाबदेही सौंपी जानी चाहिए। आवश्यकता है कि हाई कोर्ट के निर्देशों का अनुपालन ईमानदारी से हो, ताकि पर्यावरण की रक्षा हो सके।

> चुनाव प्रचार में राजनीतिक पार्टियां ऐसी सामग्री का प्रयोग करें, जो पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। अदालत का यह आदेश दूरगामी प्रभाव देने वाला तथा मानव हित में है। हाईकोर्ट के इस निर्देश का अनुपालन ईमानदारी से करने की आवश्यकता है

अयोध्या फैसला पढ़ें वामपंथी इतिहासकार

प्रो. मक्खन लाल

राम मंदिर और अयोध्या से संबंधित साक्ष्यों को नकारने वाले इतिहासकारों एवं पुरातत्वविदों को सुप्रीम कोर्ट का अयोध्या फैसला अवश्य पढ़ना चाहिए

लंबी प्रतीक्षा के बाद अयोध्या विवाद पर उच्चतम न्यायालय का फैसला आ गया। इसे सभी ने जिस तरह शांतचित्त होकर स्वीकार किया वह सराहनीय है। अच्छा तो यह होता कि इस विवाद पर अदालती निर्णय की नौबत न आती और दोनों पक्ष मिलकर इस मसले को सुलझा लेते। अगर ऐसा होता तो शायद किसी के मन में कोई मलाल न रहता। ऐसा नहीं हो सका, लेकिन यह उल्लेखनीय है कि अदालती फैसले पर करीब-करीब सभी ने कहा कि हमें वह मान्य है। एक स्वतंत्र एवं जीवंत प्रजातंत्र में सभी को अपनी राय रखने का हक है, लेकिन संविधान द्वारा स्थापित सर्वोच्च वैधानिक निर्णय का सम्मान भी सबकी जिम्मेदारी है। एक इतिहासकार होने के नाते मैंने इस विवाद पर सदैव निगाह रखी। मैं तब चकित हुआ जब जब इसमें कुछ वामपंथी कहे-माने जाने वाले इतिहासकार और पुरातत्वविद् एक पक्ष में खड़े हो गए। विवाद को बढ़ाने में उन इतिहासकारों और पुरातत्वविदों की बड़ी भूमिका रही जिन्हें हमने अपने विद्यार्थी जीवन में बहुत सम्मान की दृष्टि से देखा था। इन इतिहासकारों एवं पुरातत्वविदों में जो जीवित हैं उन्हें और जो उनके मत को सही मानते रहे उन्हें 9 नवंबर को उच्चतम न्यायालय की ओर से दिए गए निर्णय को अवश्य पढ़ना चाहिए। उन्हें यह जानकर हैरत होगी कि यह निर्णय एक बड़ी हद तक पुरातात्विक और ऐतिहासिक साक्ष्यों पर आधारित है।

शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक साक्ष्यों पर करीब दो सौ पृष्ठों में (पृष्ठ 507 से 706; पैरा 447 से 598) अपनी विवेचना दी है। विवेचना के इन बिंदुओं का जिक्र भी जरूरी है। ये बिंदु हैं 1- पुरातात्विक रिपोर्ट 2- विवादित संरचना की प्रकृति, उपयोग एवं मौखिक साक्ष्य 3-विवादित ढांचे की तस्वीरें 4-विष्णु हरि शिलालेख 5-विश्वास और उसका आधार, यात्रा वृतांत, गजेटियर और पुस्तकें, 6- इतिहासकारों की रिपोर्ट। इन्हें पढ़कर पता चलता है कि जब इतिहासकार और पुरातत्वविद् अपने विवेक को छोड़कर संकीर्ण राजनीति से प्रेरित होकर काम करते हैं तो उनका अपना और विषय का हश्र क्या होता है? हमें इतिहासकारों और पुरातत्वविदों की भूमिका पर विचार करने के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के इतिहासकारों की ओर से प्रकाशित डॉक्यूमेंटः 'द पॉलिटिकल अब्यूज ऑफ हिस्ट्री' नामक पुस्तिका देखनी होगी। यह पुस्तिका माकपा के मुखपत्र पीपुल्स डेमोक्रेसी और मार्क्सवादी पत्रिका सोशल साइंटिस्ट के अतिरिक्त अन्यत्र भी प्रकाशित की गई थी। इसमें उन समस्त बातों का जिक्र है जिनसे राम, रामजन्मभूमि और राम मंदिर का सरोकार था। तीन भागों में विभाजित इस पुस्तिका के पहले भाग में पारंपरिक हिंदू साहित्य और शास्त्रों में राम, राम के जन्म और अयोध्या से संबंधित वर्णनों को सिरे से नकारते हुए कहा गया, 'आज की अयोध्या प्राचीन अयोध्या नहीं है। उसे तो अफगानिस्तान में ढूंढा जाना चाहिए। राम के जन्म का तो कोई प्रमाण ही नहीं है और जहां बाबरी मस्जिद खड़ी है वह तो जन्मस्थान हो ही नहीं सकता।'

अवधेश राजपूत

इन इतिहासकारों ने समस्त मौखिक परंपरा, विशाल साहित्य भंडार और धार्मिक मान्यताओं को सिरे से खारिज किया। स्वाभाविक रूप से इसका साक्ष्यों समेत विरोध किया गया, लेकिन फिलहाल तो यही देखा जाना चाहिए कि न्यायालय ने क्या कहा है? उसने कहा है कि सभी साक्ष्यों के आलोक में यह निर्विवाद रूप से साबित होता है कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ और इस तथ्य को मुस्लिम पक्षकारों ने भी माना। साक्ष्यों से यह भी सिद्ध होता है कि राम का जन्म वहीं हुआ जहां बाबरी मस्जिद थी। इस पुस्तिका के दूसरे भाग में राम कथा एवं राम की प्राचीनता के बारे में लिखा गया, 'राम का पंथ 13वीं शताब्दी से लोकप्रिय हुआ। उसने रामानंदी संप्रदाय के क्रमिक उदय और हिंदी में राम कथा की रचना के साथ जोर पकड़ा। 15वीं और 16वीं शताब्दी में भी रामानंदी अयोध्या में बड़े पैमाने पर नहीं बसे थे। राम के पंथ की तुलना में शैववाद अधिक महत्वपूर्ण था। केवल 18 वीं शताब्दी से हम रामानंदी साधुओं को बड़े पैमाने पर बसते हुए पाते हैं।' हालांकि तमाम साहित्यिक और अभिलेखीय प्रमाणों से यही सिद्ध हुआ कि राम पंथ की प्राचीनता सहस्त्राब्दियों पुरानी है, न कि 15-16वीं शताब्दी की। उक्त पुस्तिका के तीसरे भाग में इस विवाद से संबंधित सभी पुरातात्विक साक्ष्यों को भी नकारा गया।

इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने न केवल मस्जिद में प्रयुक्त कसौटी स्तंभों के बारे में गलत जानकारी दी, वरन ख्याति प्राप्त पुरातत्वविद प्रो.ब्रजबासी लाल द्वारा किए गए उत्खनन में मिले साक्ष्यों को भी यह कहकर नकार दिया कि ये सब गढ़े गए हैं। मस्जिद के पिछले हिस्से के उत्खनन में मिले मंदिर के स्तंभों के आधारों को भी झुठलाने की कोशिश की गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर हुए उत्खनन की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए गए। ये विद्वान यह भूल गए कि उत्खनन उच्च न्यायालय के आदेश पर एवं न्यायाधीशों की निगरानी में हुआ और उसकी वीडियो रिकार्डिंग भी की गई। इसके बावजूद बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी से जुड़े इतिहासकारों ने किसी भी साक्ष्य को प्रामाणिक मानने से इन्कार कर दिया। उत्खनन में मिले 85 स्तंभों के आधार के बारे में कहा गया कि ये सभी भिन्न आकार के हैं और एक क्रम में नहीं हैं साथ ही भार वहन नहीं करते। ये आधार लकड़ी के खंभे होने का समर्थन करते हैं न कि पत्थर के, लेकिन उच्चतम न्यायलय ने इन सभी दलीलों को मानने से इन्कार किया और यह माना कि स्तंभों के आधार एक क्रम में हैं और वे भारी-भरकम इमारत के आधार थे। उसने यह भी माना कि बाबरी मस्जिद में इस्तेमाल पत्थरों के स्तंभों से यही लगता है कि वे किसी मंदिर के ही हैं।

इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा किए गए उत्खनन में मिले गोलाकार मंदिर के साक्ष्य को भी यह कह कर नकारा कि यह तो मकबरे का भी हो सकता है। इस पर उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह अकल्पनीय है कि स्पष्ट विशेषताओं के बावजूद आपत्तिकर्ता इसे एक मुस्लिम मकबरे के रूप में पहचान कर रहे हैं। यह एक मकबरे के लिए बहुत छोटी संरचना है, क्योंकि इसके अंदर केवल 4.4 वर्ग फीट ही जगह है। समग्र दृष्टिकोण में हमें इसके मंदिर होने में संदेह करने का कोई कारण नहीं मिलता है।

आज मुझे वे दिन याद आ रहे हैं जब अयोध्या विवाद चरम पर था और मैं अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय में पुरातत्व विभाग का उप निदेशक था। मैंने अपने साथियों से कहा था कि जो रास्ता हम ले रहे हैं उससे अपयश ही मिलेगा, क्योंकि पुरातात्विक साक्ष्यों को पूर्वाग्रह से नहीं देखा जा सकता। इस सलाह के लिए मुझे उपेक्षा, उपहास और प्रताड़ना मिली, लेकिन आज इस पर संतोष है कि उच्चतम न्यायालय के फैसले ने उन इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को आईना दिखाया जो साक्ष्यों से खुलकर खेल रहे थे।

(लेखक इतिहासकार हैं)

response@jagran.com

सबको सन्मति देने वाले संत

निरंकार सिंह

गुरु नानक देव जी उन महान विभूतियों में थे जिन्होंने सभी धर्मों के अनुयायियों को समान रूप से प्रभावित किया

आज गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाशोत्सव मनाया जा रहा है। वैसे उनका जन्म 15 अप्रैल, 1469 को हुआ था, लेकिन श्रद्धालु उनका जन्मोत्सव कार्तिक मास की पूर्णिमा को मनाते हैं। इस उपलक्ष्य में अभी हाल में भारत-पाकिस्तान ने उस करतारपुर साहिब को एक गलियारे से जोड़ा है जहां गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन का अंतिम समय बिताया था। इस गलियारे का आनन-फानन निर्माण होना गुरुनानक देव जी की महत्ता को स्थापित करता है। यदि कटुता भरे संबंधों के बाद भी भारत और पाकिस्तान इस गलियारे के लिए तैयार हुए तो यह गुरु नानक देव जी का ही प्रताप है। गुरु नानक देव की गिनती उन महान संतों में होती है जिन्होंने भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया को सत्य और सतनाम का पाठ पढ़ाया। उन्होंने मानव को सत्य का मार्ग दिखाया। सभी को सद्भाव के साथ रहने का संदेश दिया। वह महान समाज सुधारक थे। उन्होंने छुआछूत, अंधविश्वास और पाखंडों पर प्रहार किया तो परोपकार, प्रेम और सहयोग का महत्व भी समझाया। वह हिंदू-मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने कहा था कि सबका ईश्वर एक है। उन्होंने तमाम स्थलों का भ्रमण कर लोगों को मानवीय गुणों से ओतप्रोत किया। इस कड़ी में सबसे पहले वह ऐमनाबाद गए। वहां से दिल्ली, गया, काशी, हरिद्वार और जगन्नाथपुरी के अलावा अन्य अनेक स्थानों पर गए।

इसके बाद उन्होंने दक्षिण भारत का रुख किया और रामेश्वरम, अर्बुदगिरि, लंका आदि स्थानों का दौरा कर अपने धर्म का प्रचार किया। दक्षिण प्रवास से वापसी के बाद उन्होंने गढ़वाल, हेमकूट, टिहरी, सरमौर, गोरखपुर, सिक्किम, भूटान और तिब्बत आदि की यात्रा की और वहां अपने उपदेशों का प्रचार किया। चौथी और अंतिम यात्रा में वह बलूचिस्तान से होते हुए मक्का तक गए। इस यात्रा में उन्होंने ईरान, कंधार, काबुल और बगदाद आदि में उपदेश दिए। उन्होंने बताया कि संसार के सारे कार्य उसी एक परमपिता की मर्जी से होते हैं। इसलिए सारे भेद मिटाकर सच्चे हृदय से ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। उनकी शिक्षा थी कि जो व्यक्ति दया, नम्रता, प्रेम और सत्य में रमा रहता है वही इस जीवन में सुख पाता है। गुरु नानक जी ने हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध और जैन आदि सभी धर्मों के पवित्र तीर्थों की यात्रा की थी। सभी जगह उन्होंने 'सत्यकर्ता' यानी ईश्वर को स्मरण रखने का उपदेश दिया और सभी धर्मों के अनुयायियों को समान रूप से प्रभावित किया। इसीलिए सभी धर्मों के लोग उनका समान रूप से

आदर करते थे। उनमें से तमाम उनके शिष्य बन गए थे। उनका सबसे महत्वपूर्ण उपदेश यही है कि यदि कोई यह जानना चाहता है कि सत्य क्या है तो उसके लिए अनिवार्य है कि वह अपने हृदय के भीतर प्रवेश करे। परमात्मा ऊपर आसमान में नहीं है। न वह सितारों में है। न वह समुद्र में है। वह मानव के अंतःकरण में है। उस मानव के जो सच्चे अर्थो में धार्मिक है, जो परमात्मा को स्वयं में समाहित मानता है और जिसने अपने अस्तित्व का अर्थ समझा है।

हमारे देश में ऐसे ही लोगों को धार्मिक कहा गया है न कि ऐसे लोगों को जो जाप करते हैं या मंदिरों में जाते हैं। संभव है कि ऐसे लोग ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में हों, परंतु जिसने ईश्वर को पाया है, वह ऐसा व्यक्ति होगा जिसने ईश्वर को अपने अंतःकरण में देखा है। हमें गुरु नानक देव की इस वाणी को स्वीकार करना होगा कि नाम में कोई अंतर नहीं है और विभिन्न मार्गों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस व्यक्ति ने ईश्वर को देखा है वही सचमुच धार्मिक है न कि वे लोग जो बातें तो ईश्वर की करते हैं, परंतु व्यवहार में नास्तिक हैं। जो वास्तव में धार्मिक है वह कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिसकी आत्मा उसकी गवाही न दे या जो किसी भी रूप में अपवित्र है। ऐसे समय में जब हम संसार की वास्तविकताओं को भूल रहे थे, तब गुरु नानक जी ने हमारा ध्यान इस ओर दिलाया कि कोई वस्तु है जो पवित्र है, जो परिवर्तनशील है, कालातीत है, जो सभी कालों में विद्यमान है। उन्होंने हमें उस मूल से परिचित कराया जिससे तराशकर हमें बनाया गया है। उन्होंने सतनाम और सदाचार का सार्थक उपदेश दिया।

अधिकांश व्यक्ति सोचते हैं कि संतों के जीवन में कुछ कठोरता और उदासीनता होती है। यह सत्य नहीं है। जो परमात्मा से साक्षात्कार करते हैं वे समाज के दुख या विफलताओं के प्रति कठोर दृष्टिकोण नहीं रखते। वे तो मानवीय दुखों के प्रति सहानुभूति का दृष्टिकोण रखते हैं। वे उन दुखों को पूरी तरह समझते हैं। संत जीवन गैर-सांसारिक नहीं है। यह मन की एक स्थिति है, एक ऐसा दृष्टिकोण है जिससे हम संसार की सभी वस्तुओं को देखते हैं। नानक जी के अनुसार सबसे बड़े पैगंबर वे हैं जो भूखों को भोजन कराते हैं। बीमारों का उपचार कराते हैं। पापियों को क्षमा करते हैं। उन्होंने अपने समय में हिंदुओं और मुसलमानों में तमाम विरोध देखे। वह प्रश्न करते थे कि तुम रूपों को लेकर, समारोहों को लेकर, सिद्धांतों को लेकर और तीर्थो आदि को लेकर आपस में क्यों झगड़ते हो? यह व्यर्थ है , क्योंकि हम सभी उस एक ही सर्वशक्तिमान की पूजा कर रहे हैं। हम सभी एक ही खोज में शामिल तीर्थयात्री हैं। हम सभी जानना चाहते हैं कि परमात्मा कहां हैं? हम उस तक कैसे पहुंच सकते हैं?

नानक जी के उपदेशों की आज भी उतनी ही आवश्यकता है, क्योंकि अभी भी हम सही अर्थों में धार्मिक नहीं हो सके हैं। हमने अपने अंतःकरण को नहीं समझा और उस सर्वशक्तिमान को नहीं देखा जो वहां विद्यमान है। गुरु नानक देव की शिक्षाओं में केवल सैद्धांतिक रूप से विश्वास करना पर्याप्त नहीं। हमें उन्हें अपने जीवन में उतारना होगा। उनका स्मरण करते हुए हमें यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि वह आडंबरों के प्रबल विरोधी थे। वह कहते थे कि मनुष्य रूप में जन्म लेकर जो परोपकार नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ हैं।

(लेखक विश्व हिंदी कोष से संबद्ध रहे हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

कर के दिखाएं

जब गुण चरित्र का हिस्सा नहीं होते तब किसी मनुष्य के विकार प्रबल होते हैं। ऐसे में वह जो भी करता है उससे न तो उसका अपना कोई हित होता है न समाज का। आज भले कार्यों का लक्ष्य मात्र लोक प्रशंसा और स्वयं को स्थापित करना रह गया है। मनुष्य ने यह राह अपनी मति से चुनी है। परमात्मा की प्रेरणा इसके पूर्णतः विपरीत है। सृष्टि का भला परमात्मा की प्रेरणा धारण करने में ही है।

धरती पर कई प्रकार के वृक्ष हैं जो फल देते हैं। उनकी कभी पूजा, वंदना नहीं की जाती फिर भी वे फल देते हैं। सूर्य और चंद्रमा के अतिरिक्त आकाश में असंख्य तारे भी हैं। उनकी पूजा नहीं होती, उनका कोई नाम भी नहीं, फिर भी वे चमकना नहीं भूलते। संसार के प्रांगण में नित्य असंख्य फूल खिलते हैं। उनमें से थोड़े ही पूजा स्थलों में अर्पित होते हैं, किंतु शेष फूल भी वैसे ही अपना सौंदर्य और सुगंध बिखेरते हैं जैसे पूजा स्थलों तक आ जाने वाले फूल। इसलिए, क्योंकि ऐसा करना उनका स्थाई स्वभाव है। फलों, फूलों और तारों के लिए प्रशंसा का भाव स्वतः ही प्रकट होता है। मनुष्य को इसके लिए प्रयास करना पड़ता है, क्योंकि उसका आचरण फूल, फल और तारों जैसा नहीं है।

संसार में कितने ही शक्तिशाली सम्राट, धनवान, विद्वान, दानी और कुलवान हुए होंगे, किंतु कोई उनके बारे में जानता तक नहीं है। सदियों बाद भी आज जिन्हें आदर प्राप्त हो रहा है उन्होंने समाज को कुछ दिया तो निर्लिप्त भाव से। उन्होंने अपने कार्यों का प्रचार नहीं किया, अपने चिंतन का प्रसार किया। जब उनका चिंतन, उनके कार्य सामाजिक हितों की कसौटी पर खरे उतरे तो समाज ने स्वयं आगे आकर उनके लिए श्रद्धा और भावना के द्वार खोल दिए। ठीक है कि हर मनुष्य संत नहीं बन सकता, किंतु संत वृत्ति तो अपना सकता है। जब वह इस राह पर चल पड़ेगा तो उसे किसी प्रचार, लोक प्रशंसा का मोह ही नहीं रहेगा। समाज में स्वयं उसका स्थान बन जाएगा। इसके लिए उसे किसी प्रकार की व्यग्रता दिखाने से बचना होगा।

डॉ. सत्येंद्र पाल सिंह

उम्र घटा रहा वायु प्रदूषण

अनीश कुमार

> वायु प्रदूषण के कारण गंगा के मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों की आयु देश के अन्य क्षेत्र के लोगों की आयु की अपेक्षा कम हो रही है

इंसानों को जीने के लिए हवा पहली जरूरत है। इसके बिना जीवन असंभव है, लेकिन आज मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से वायुमंडल को विषाक्त बना दिया है। इससे दिल्ली और एनसीआर सहित उत्तर भारत के कई नगरों में हवा इस हद तक प्रदूषित हो गई है कि लोगों द्वार सांस लेना मुश्किल हो गया है। इस वायु प्रदूषण का प्रभाव मानव वर्ग पर ही सीमित नहीं है, जीव-जंतु, पेड़-पौधे भी इसके शिकार हैं। इस प्रदूषण का मुख्य कारण बढ़ते उद्योग-धंधों के साथ-साथ मोटर गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है। दिवाली पर पटाखों का धुआं भी हवा को जहरीला बना रहा है। इसका एक कारण पंजाब, हरियाणा और उप्र के किसानों द्वारा अपने खेतों में धान के अवशेषों का जलाना भी है। इसके अलावा नगर निगमों द्वारा कूड़े का ढेर भी जलाया जाना है। उत्तर भारत में प्रदूषण बाकी भारत के मुकाबले तीन गुना अधिक जानलेवा है। इसके कारण गंगा के मैदानी इलाकों में रहने वाले लोगों की आयु सात साल तक कम हो गई है। यहां देश की 48 करोड़ से अधिक आबादी या भारत की करीब 40 फीसद जनसंख्या निवास करती है। एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स (एक्यूएलआइ) के अनुसार भारत अगर राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के लक्ष्यों को हासिल कर लेता है और मौजूदा प्रदूषण में 25 फीसद की कटौती कर लेता है तो भारतीयों का औसत जीवन करीब 1.3 साल बढ़ जाएगा।

मनुष्य के जीने के लिए हवा में ऑक्सीजन का होना बहुत जरूरी है। इसके बिना हम जी नहीं सकते। ऑक्सीजन हमें पेड़-पौधों और वृक्षों से मिलती है। इसलिए हर नागरिक का यह कर्तव्य है कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए वृक्ष लगाए और उनकी रक्षा भी करे। इसके साथ-साथ प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग-धंधों के खिलाफ आवाज उठाए। दीपावली पर अंधाधुंध पटाखों को दागने वाले के खिलाफ माहौल बनाए। वायु प्रदूषण के कारण इंसानों के साथ-साथ फसलें भी प्रभावित हो रही हैं। लहलहाते खेत सूख रहे हैं, पैदावार कम हो रही है, फल-सब्जियों के स्वाद में अंतर हो रहा है। वायुमंडल में व्याप्त धूल और धुएं के कारण पौधों को प्रकाश की वांछित मात्रा नहीं मिल पा रही है, जिससे उनका पूर्ण विकास नहीं हो पा रहा है। प्रदूषण से पत्तियों पर धब्बे पड़ जा रहे हैं। इससे पत्तियां मुरझाने लग रही हैं और फूल खिलने से पहले ही गिरने लग रहे हैं। एक अध्ययन के अनुसार मिर्जापुर में सीमेंट कारखानों के निकटवर्ती क्षेत्रों में पौध नाटे, पत्तियां छोटीं, बालियां अविकसित तथा दाने अपुष्ट पाए गए हैं। बहुत से क्षेत्रों में आम की फसलें अत्यधिक प्रभावित हुई हैं।

देश में हर आठ में से एक व्यक्ति की मौत वायु प्रदूषण के कारण हो रही है। वक्त आ गया है कि साफ हवा के लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम करें और कुछ कड़े कदम उठाए जाएं। यदि ऐसा नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में हमें सांस लेने के लिए शुद्ध हवा का मिलना मुश्किल हो जाएगा और लोग बड़े पैमाने पर दमा, टीबी सहित कई तरह की गंभीर बीमारियों के शिकार होंगे।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

भविष्य की ओर देखने का समय

इतिहास से सबक लेने का समय शीर्षक से लिखे अपने लेख में रामिश सिद्दीकी ने सुप्रीम कोर्ट के रामजन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर दिए निर्णय को ऐतिहासिक एवं सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने में कारगर बताया है। यह सच है कि इस विवाद ने दशकों का समय विवाद में बर्बाद कर दिया। यदि यह विवाद न होता तो हमारा देश और समाज काफी आगे बढ़ चुके होते! अब जबकि सर्वसम्मत फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है तो उस फैसले का सम्मान करना ही सर्वोपरि होगा। देश निर्माण हेतु सांप्रदायिक सौहार्द की नींव आज की युवा पीढ़ी के कंधों पर है। युवाओं को चाहिए कि वे आगे बढ़ें और बेहतर भविष्य के नींव का पत्थर स्वयं बनें। दशकों का समय भले ही दुर्भाग्य से विवाद के नाम रहा हो, लेकिन यह अतीत की बात हो गई है। हमें अब बेहतर भविष्य निर्माण की बात करनी है। कोई नहीं चाहता कि भविष्य की नींव विवादों पर आधारित हो, बल्कि हर भारतवासी चाहता है कि देश की नींव सांप्रदायिक सौहार्द पर आधारित हो।

सर्वजीत आर्या, कन्नौज

रोजगार के साधन

बेरोजगारी आज पूरी दुनिया के समक्ष एक गंभीर समस्या बनी हुई है। भारत में लगातार बढ़ती जनसंख्या और उससे उपजी बेरोजगारी की समस्या धीरे-धीरे विस्फोटक रूप धारण कर रही है। रोजगार ना मिलने से युवाओं की उदासीनता में वृद्धि हो रही है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआइई) की ताजा रिपोर्ट में बेरोजगारी का साढ़े आठ फीसद पर पहुंचना हमारी अर्थव्यवस्था के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है। देश में एक चौथाई से अधिक युवाओं का बेरोजगार होना भविष्य में हमारे लिए गंभीर खतरे उत्पन्न कर सकता है। चुनावों के दौरान हर बार बेरोजगारी का मुद्दा उठाया जाता है, परंतु चुनावोपरांत यह विषय भुला दिया जाता है। सरकार को देश में रोजगार देने वाले नए अवसर पैदा करने होंगे, साथ ही लघु-कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देकर उनके लिए सस्ते एवं आसान लोन देने की व्यवस्था में तेजी लानी चाहिए। छोटे-छोटे उद्यमियों, कारीगरों, किसानों एवं श्रमिकों के लिए वास्तविक पूंजी उपलब्ध कराकर रोज़गार के नए साधन पैदा करने चाहिए।

हितेंद्र डेढ़ा, चिल्ला, दिल्ली

मेलबाक्स

एसपीजी सुरक्षा हटाना सही

गृह मंत्रालय ने गांधी परिवार से साल 1985 में गठित एसपीजी सुरक्षा हटाकर जेड प्लस सुरक्षा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है, जो सही है। कांग्रेसी इसे बदले की भावना से लिया गया कदम बता रहे हैं, जबकि सरकार ने गहन चिंतन-मनन के बाद ऐसा फैसला लिया है। पूर्व प्रधानमंत्रियों में लाल बहादुर शास्त्री, नरसिंहा राव, देवगौड़ा, चंद्र शेखर, मनमोहन सिंह आदि किसी के परिवार को एसपीजी सुरक्षा नहीं मिली हुई है। यहां तक कि वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी के परिवार को भी यह सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई गई है। गांधी परिवार को आतंकी खतरे के मद्देनजर यह सुरक्षा दी गई थी। अब गांधी परिवार को न तो खालिस्तान समर्थक आतंकवादियों से खतरा है और न ही तमिल उग्रवादियों से। राहुल गांधी अब मात्र एक सांसद हैं। उनकी सुरक्षा में एसपीजी का भारी भरकम दस्ता नियुक्त करना समझदारी नहीं है। फिर वह नियमों का पालन भी नहीं करते हैं। विदेश वह बिना सूचना दिए चले जाते हैं और बिना किसी सुरक्षा के। यदि वहां कोई अनहोनी हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा?

dharmendranath.rastogi@gmail.com

बढ़ती ऑनलाइन धोखाधड़ी

आजकल ऑनलाइन से धोखाधड़ी बढ़ गई है। ठग तरह-तरह के हथकंडे अपनाकर लोगों के खाते से पैसा निकाल ले रहे हैं। इसमें से एक है, लोगों के मोबाइल पर संदेश देकर कि हम आपके पेटीएम अकाउंट को विद होल्ड कर देंगे और आप अपना पेटीएम केवाईसी अपडेट कराएं। साथ में उसमें एक नंबर दिया होता है जिस पर कॉल करने या मिस कॉल लगाने से भी बार-बार कॉल आने लगती है। जबकि इस तरह के कोई संदेश पेटीएम ऑफिस की तरफ से नहीं भेजे गए होते हैं। ऐसे में जागरूक रहकर ही ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचा जा सकता है। लोगों को फोन पर किसी तरह की गोपनीय सूचना नहीं देनी चाहिए।

युगल किशोर शर्मा, खांबी, फरीदाबाद

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।